



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938

No. 834]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2016

**का.आ. 1326(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा. रमन मोहन सिंह, निदेशक, केन्द्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई को तुरंत प्रभाव से, नीचे उल्लिखित ओषधि-वर्गों के सिवाय सभी ओषधि-वर्गों की बाबत संपूर्ण भारत के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है, अर्थात् :-

1. सेरा
2. इंजेक्शन के लिए आशयित सीरम प्रोटीन का घोल
3. वैक्सीन
4. टॉक्सिन
5. एंटी-टॉक्सिन
6. विसंक्रमित शल्यक्रिया लिगेचर और विसंक्रमित सीवनी
8. जीवाणुभोजी
9. पशुचिकित्सा उपयोग के लिए एंटीसेरा
10. पशुचिकित्सा उपयोग के लिए वैक्सीन
11. पशुचिकित्सा उपयोग के लिए टॉक्साइड
12. पशुचिकित्सा उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन
13. वी.डी.आर.एल. एंटीजन
14. एच.आई.वी. एंटीवाॅडी के लिए निर्बाध परीक्षण के लिए मानव रक्त और मानव रक्त उत्पाद, जिसमें संघटक भी हैं

15. मानव प्रतिरक्षाहीनता वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए रक्त समूहीकरण अभिकर्मक और नैदानिक किट
16. कंडोम

[फा. सं. एक्स. 11035/128/2016-डी.एफ.क्यू.सी.]

कुंदन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Department of Health and Family Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2016

**S.O. 1326 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints Dr. Raman Mohan Singh, Director, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai to be the Government Analyst, with immediate effect, for the whole of India in respect of all classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely:-

1. Sera
2. Solution of Serum Proteins intended for injection
3. Vaccines
4. Toxins
5. Antigens
6. Anti-toxins
7. Sterilized surgical ligature and sterilized suture
8. Bacteriophages
9. Anti-Sera for Veterinary use
10. Vaccines for Veterinary use
11. Toxoids for Veterinary use
12. Diagnostic Antigens for Veterinary use
13. VDRL Antigen
14. Human Blood and Human Blood Products including components, to test for freedom for HIV antibodies
15. Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis E Virus
16. Condoms.

[F.No. X.11035/128/2016-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.